सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 57/2017

विशाल स्टोन क्रेशर द्वारा संचालक श्रीमति जानकी देवी पत्नी फूलाराम जाति मीना निवासी लूनियावासा तहसील सॉगानेर जिला जयपुर ...प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी, लालसोट जिला दौसा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए, उप जिला कलेक्टर, लालसोट
2. प्राधिकृत अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए दौसा कोथून चौडाईकरण, कार्यालय रावत पैलेस हाटल के पीछे, आगरा रोड, दौसा ..अप्रार्थी

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम विरुद्ध अवार्ड सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा

उपस्थिति–1. श्री ब्रज मोहन गौड अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष

निर्णय दिनांकः 30.04.2018

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), लालसोट द्वारा जारी अवार्ड से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से अभिलेख मय जॉच टिप्पणी तलब की गई। प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आ0ख0नं0 954/90 रकबा 18 एयर वाके ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट की 2616 वर्गगज भूमि सक्षम अधिकारी से दिनांक 28.04.04 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित करवाई गई थी खातेदार ओंकार के पिता का नाम लिपिकीय भूलवश घासीराम के बजाय भूराराम अंकित कर दिया गया जिसे तहसीलदार लालसोट द्वारा जरिए ना0सं0 1827 दिनांक 04.01.2018 को शुद्ध किया गया। प्रार्थीया ने ओंकार पुत्र घासीराम रैगर से उसकी खातेदारी भूमि खसरा नं0 2015 रकबा 3 बीघा में से उसके द्वारा दिनांक 28.04.2004 को औद्योगि प्रयोजनार्थ संपरिवर्ति कराये गये भू–भाग 2616.66 वर्गगज को जरिये पंजीकृत

विक्रय पत्र दिनांक 10.05.04 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया। प्रार्थिया ने बाद खरीद उस भूमि पर विशाल स्टोन क्रेशर लगवा लिया तथा उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आ0ख0नं0 572/90 का 0.2907 है0 भू–भाग अवाप्ति कर खातेदारी में अंकित ओंकार पुत्र घासीराम रैगर की भूमि को कृषि भूमि राजस्व अभिलेख के अंकन के अनुसार मानकर मुआवजा राशि निधारित की है। ओंकार पुत्र घासीराम का नाम ख0नं0 752/90 की खातेदारी में गलत अंकित है क्योंकि ओंकार द्वारा आ0ख0नं0 9015 जिसके अब परिवर्ति नंबर 792/90 है इस खसरा नंबर में से सम्परिवर्ति 2616.66 वर्गगज भूमि का विक्रय प्रार्थिनी के नाम दिनांक 10.05.04 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र हो चुका है। विक्रय पत्र में ओंकार के पिता का नाम गलत अंकित हो जाने के कारण प्रार्थीया के नाम नामान्तरकरण नहीं हुआ था। उप जिला कलेक्टर, लालसोट द्वारा नाम शुद्ध करने का आदेश देने के बाद नामान्तरकरण संख्या 1827 दिनांक 04.01.2018 को तस्दीक हुआ। इसलिए प्रार्थीया विशाल स्टोन क्रेशर पर स्थित मकानात, सडकें एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। भूमि की किस्म औद्योगिक की बजाय कृषि मानकर की गयी है, जो समुचित नहीं है। प्रार्थीया को अवाप्त किये जाने वाले संस्थान सम्परिवर्तित औद्योगिक श्रेणी की भूमि एवं संस्थान पर विद्यमान सम्पत्ति के बाजार मूल्यांकन अनुसार प्रतिकर मुआवजा प्राप्ति की अधिकारीणि है। राजस्व अभिलेख में तत्समय अंकन के आधार पर प्रतिकर का सही निर्धारण कर दिलाया जावें। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर 2616.66 वर्गगज भूमि का औद्योगिक दर से व पंजीकृत सम्पत्ति मूल्यांकन द्वारा किये गये मूल्यांकन 95,14,000/– रुपये प्रतिकर दिलाया जावें। साथ ही हितबद्ध व्यक्ति का नाम प्रकोष्ठ सं0 4 ईश्वर लाल पुत्र रामपाल मीना का नाम अनाधिकृत रुप से अंकित कर दिया गया जबकि उक्त संस्थान से ईश्वरलाल मीना का कोई संबंध नहीं है, जो विलोपित किया जावें व हितबद्ध के रुप में प्रार्थीनी का नाम अंकित किया जावें।

अप्रार्थीगण को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख पेशी के नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 2 के जारी नोटिस दिनांक 04.04.18 की तामिल होने पर उसको स्पष्ट नहीं मानी जाकर पुनः अप्रार्थी सं0 2 को दिनांक 30.04.18 निर्धारित की जाकर नोटिस भिजवाये गये। तामिल पर्याप्त होने के बावजूद अप्रार्थी सं0 2 ने उपस्थित होना ही उचित नहीं समझा। इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सं0 2 विधिक पक्षकार होने व पर्याप्त तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि उनको इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में पत्रावली एवं सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 20.04.2018 का अवलोकन किया गया व गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करना उचित समझते हुए बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम निर्झरना के आ0ख0नं0 90/5 रकबा 3 बीघा भूमि में से 2616.66 वर्गगज औद्योगिक संपरिवर्तन आदेश उपखण्ड अधिकारी, लालसोट के आदेश दिनांक 28.04.2008 द्वारा ओंकारमल पुत्र भूराराम रैगर के नाम जारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया। जिसका बेचान विक्रय पत्र दिनांक 10.05.2004 को जानकी पत्नी फूलाराम मीना निवासी लूणियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर को किया गया। विक्रय पत्र की छाया प्रति संलग्न पत्रावली है। भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीया के नाम नहीं होने से राजस्व रिकॉर्ड में भूमि ओंकार मल के नाम होने से भूमि का मुआवजा खातेदार के नाम जारी कर दिया गया। तत्पश्चात जानकी देवी के नाम शुद्धि पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा करने पर उसका नामान्तरकरण होकर दिनांक 06.02.2018 द्वारा ओंकार पुत्र घासीराम रैगर के बजाय खसरा नंबर 954/40 रकबा 0.18 बीघा जानकी देवी पत्नी फूलाराम मीना के नाम स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होना पाया जाना प्रतीत होता है। साथ ही हितबद्ध व्यक्ति का नाम प्रकोष्ठ सं0 4 ईश्वर लाल पुत्र रामपाल मीना का नाम अनाधिकृत रुप से अंकित कर दिया जाने बाबत भी प्रार्थीया द्वारा एक पत्र प्रस्तुत व वरवक्त बहस भी ध्यान आकृष्ट किया कि ईश्वरलाल मीना का इस संस्थान से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में भूमि का मालिकाना हक प्रार्थीया का है और मुताबिक रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का रुपान्तरण करवा लिया गया था। जिसका नामान्तरकरण तत्समय नहीं खुलवाया गया था। वर्तमान में औद्योगिक सम्परिवर्तन भूमि का नामान्तरकरण खुलवा लिया गया है। उक्त तथ्यों के संबंध में उप जिला कलेक्टर, लालसोट द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी पूर्णतः खुलासा किया गया है। प्रार्थीया को राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज नहीं करवाने के कारण उनको भूमि का मुआवजा नहीं दिया जा सका। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं कानूनी बिंदुओं का परीक्षण करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है वर्तमान परिपेक्ष में प्रकरण पर सीधा ही कोई कार्यवाही नहीं करते हुए प्रकरण को सक्षम अधिकारी को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी, लालसोट को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि विधिक प्रावधानों के आलोक में जमाबंदी में अंकित भूमि की किस्म एवं प्रार्थीया द्वारा जो आपत्तियॉ उठाई गई है, उनको दृष्टिगत रखते हुए इसका पुनरावलोकन कर नियमानुसार भूमि का मुआवजे का निर्धारण करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 अप्रेल, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official